राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1804/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
रंगीला प्रसाद गुप्ता 146बी] अवधपुरी] कालवाड रोड] झोटवाडा, Jaipur ,Rajasthan		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, झालाना डूंगरी Jaipur

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 11/04/2018

1. अपीलार्थी श्री रंगीला प्रसाद गुप्ता, उपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री आर.के. बोरा, सहायक अभियंता, उपस्थित।

3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 30-5-17 के द्वारा जोधपुर एवं जयपुर शहरों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पॉलिसी व एक्शन प्लान की प्रति, पॉलिसी क्रियान्वयन की दिशा में किये गये कार्यों के सम्बन्ध में 4 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 17-8-17 के उपरान्त भी सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने निवेदन किया कि उन्हें 33 पृष्ठीय सूचना के स्थान पर 5 पृष्ठीय सूचना ही उपलब्ध करवाई गई है एवं बिन्दु संख्या 1, 2 व 3 की सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं करवाई गई है। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 27-6-17 से 83 पृष्ठीय सूचना हेतु राशि 166/-रु. जमा करवाने हेतु संसूचित कर दिया गया था। प्रथम अपीलीय निर्णय की अनुपालना में राज्य लोक सूचना अधिकारी जोधपुर एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी, जयपुर द्वारा बिन्दुवार सूचना पत्र दिनांक 8-9-17 एवं 22-9-17 के द्वारा राज्य मण्डल में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संलग्न कर प्रेषित कर दी थी। यह भी स्पष्ट किया कि चाही गई सूचना 83 पृष्ठ की ही थी जैसा कि राज्य लोक सूचना अधिकारी, जोधपुर के पत्र दिनांक 27-6-17 से स्पष्ट है। अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 4 से जोधपुर व जयपुर शहरों में औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं आवासीय जोनों में विभिन्न

महत्वपूर्ण स्थानों का राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवेशी वायु के वर्ष 2007 व 2017 का औसत तथा तुलनात्मक विवरण मांगा गया था। जबकि राज्य लोक सूचना अधिकारी, जोधपुर द्वारा वर्ष 2007 से 2017 तक का तुलनात्मक विवरण की जानकारी समझते हुए पृष्ठों की संख्या बताई गई थी। अतः राज्य लोक सूचना अधिकारी, जोधपुर द्वारा अपीलार्थी को पत्र दिनांक 27-6-17 से लिखे गये पत्र में पृष्ठों की संख्या 83 भूल वश बताई गई थी।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 14-3-18 मय संलग्नक प्रस्तुत कर प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का आवेदन दिनांक 31-5-17 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को प्रस्तुत कर क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर के सम्बन्ध में भी सूचना चाही गई थी एवं क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर से भूलवश अपीलार्थी को 83 पृष्ठीय सूचना हेतु राशि 166/-रु. की मांग पत्र दिनांक 27-6-17 से प्रेषित कर दी गई। अन्ततः प्रत्यर्थी कार्यालय द्वारा अपीलार्थी को जोधपुर एवं जयपुर से सम्बन्धित सूचना पत्र दिनांक 8-9-17 एवं 22-9-17 से प्रेषित की जा चुकी है।

8. अपीलार्थी प्राप्त सूचना से संतुष्ट नहीं है, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की भावना एवं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुऐ प्रत्यर्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अपीलार्थी को पंजीकृत पत्र द्वारा एक निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर सूचना से सम्बन्धित अभिलेखों के अवलोकन हेतु आमंत्रित कर लें। अपीलार्थी के अभिलेखों के अवलोकनोपरान्त उनके द्वारा चिन्हित एवं नियमानुसार देय सूचना के लिए नियमानुसार शुल्क प्राप्त कर, सूचना अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर उपलब्ध करा दें।

9. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त